संo– 32 /IV(2)-श0वि0–12–268(सा0)/05

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक– 13 जुलाई, 2012

विषयः–नगर पंचायत, कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से दो मंजिला पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत कार्य की चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 464/V–श0वि0–06–268(सा0)/05, दिनांक 06–03–2006 तथा शासनादेश संख्या 395/IV–श0वि0–09–268(सा0)/05, दिनांक 20–03–2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से नगर पंचायत, कीर्तिनगर हेतु अवस्थापना विकास के अन्तर्गत दो मंजिला पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु रू. 88.57 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः रू. 17.00 लाख एवं रू. 70.67 लाख, कुल रू. 87.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2– अध्यक्ष, नगर पंचायत, कीर्तिनगर के पत्र संख्या 292/अव0वि0नि0/2010–11, दिनांक 8.10.2010 द्वारा उक्त कार्य का अतिरिक्त आगणन रू. 57.58 लाख का उपलब्ध कराया गया है, जिसका तकनीकी परीक्षण कर टी0ए0सी0 द्वारा रू. 57.78 लाख औचित्यपूर्ण पाए गए हैं। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 6.03.2006 द्वारा स्वीकृत उपरोक्त कार्य की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रू. 146.35 लाख की प्रदान करते हुए तृतीय किश्त के रूप में रू. 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त धनराशि रू. 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पंचायत को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।

(ii) पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 464/V–श0वि0–06–268(सा0)/05, दिनांक 06–03–2006 तथा शासनादेश संख्या 395/IV–श0वि0–09–268(सा0)/05, दिनांक 20–03–2009 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

(iv) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(v) कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेकिंग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।

(vi) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(vii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

(viii) निर्माण कार्य पर प्रयोग किए जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(ix) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(x) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2013 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 31/XXVII(2)/2012, दिनांक– 06 जुलाई, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S1207130433 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

सं0–32 (1)/IV(2)-श0वि0–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।

8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(अमित नेगी)
अपर सचिव।